जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

1743 - अगर मस्जिद के कुछ फर्नीचरों की ज़रूरत बाक़ी नहीं रह गई है तो उनका क्या किया जाए ?

प्रश्न

क्या मस्जिद के लिए वक़्फ की गई चीज़ें जैसे कि अलमारियाँ अगर मस्जिद के लिए तंगी पैदा करें और मस्जिद को उनकी ज़रूरत न हो, तो क्या उन्हें हस्तांतरण करना जायज़ है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

जी हाँ, वक़्फ़ को स्थानांतरित करना जायज़ है यदि ऐसा करना ही योग्यतम है। अतः जब मस्जिद की किसी चीज़ की ज़रूरत न रह जाए, जैसे - फर्श (दरी, चटाई, क़ालीन) या अलमारियाँ इत्यादि, तो हम उन्हें उसी तरह से दूसरी मस्जिद में स्थानांतरित कर देंगे, यदि ऐसा करना संभव है। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो हम इन चीज़ों को बेच देंगे और इनकी क़ीमत को मस्जिद पर खर्च करेंगे। किंतु यदि ये (फर्नीचर औक़ाफ विभाग के हैं), तो औक़ाफ़ विभागा ही इसमें हस्तछेप करेगा, और वह चीज़ करेगा जो सबसे अधिक योग्य है।